झारखंड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची

1279 दिनांक 27.6.12

265

संकल्प

विषय:— **Public Private Partnership (PPP) Mode के तहत विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड के तीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय रामगढ़, चाईबासा, दुमका एवं पोलिटेकनिक संस्थान सिल्ली को संचालन संबंधी निर्णय।**

झारखंड राज्यान्तर्गत तकनीकी शिक्षा के उत्थान, राज्य के छात्रों को अन्य राज्यों में तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने के लिए पलायन को रोकने, आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब छात्रो एवं सुदूर गाँवों के प्रतिभावान छात्रों को उच्च गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा राज्य के अन्दर ही प्रदान करने, साथ ही राज्य तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाले अन्य राज्यों की तुलना में शीर्ष पर करने करने हेतु, राज्य सरकार Public Private Partnership (PPP) Mode के तहत (i) राज्य के अग्रणी उद्योग (ii) उच्च कोटि के शिक्षण जगत मे सोसाईटी अथवा ट्रस्ट अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956 के माध्यम से चलाने पर निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग अंतर्गत स्थापित नये संस्थान को Public Private Partnership (PPP) Mode के तहत संचालन के मुख्य बिन्दु निम्नवत होंगे :—

2 संचालन

राज्य के अग्रणी उद्योग या शिक्षण जगत में सोसाईटी अथवा ट्रस्ट अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956 जो Applicable law के तहत निबंधित है, के माध्यम से तीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय रामगढ़, चाईबासा, दुमका एवं पोलिटेकनिक संस्थान सिल्ली को Public Private Partnership (PPP) के तहत संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

3 नामांकन प्रक्रिया

सभी संस्थान में नामांकन क्षमता All India Council for Technical Education (AICTE) द्वारा स्वीकृत सीट पर होगी तथा समय–समय पर AICTE द्वारा जारी दिशा–निर्देश के अनुसार होगा।

(क) अभियंत्रण महाविद्यालय

अभियंत्रण महाविद्यालय में नामांकन हेतु उपलब्ध कुल नामांकन क्षमता का नामांकन अनुपात निम्न प्रकार से होगा :—

(c) Students from Jharkhand - 75%
(d) Students from all over India - 25%

(ख) पोलिटेकनिक संस्थान

पोलिटेकनिक संस्थान में नामांकन हेतु उपलब्ध कुल नामांकन क्षमता का नामांकन अनुपात निम्न प्रकार होगा :—

(b) Students from Jharkhand - 80%
(b) Admission at Institute Level - 20%

अभियत्रण महाविद्यालय में 75% एवं पोलिटेकनिक संस्थान में झारखण्ड के छात्र/छात्राओं के लिय Seats आरक्षित होंगे जिसके लिए नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद या सरकार द्वारा अगर कोई प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैं तब उस आधार पर होगा। नामांकन झारखंड राज्य में लागू आरक्षण निति के अनुस होगा।

संस्थान स्तर पर अभियंत्रण महाविद्यालय में 25% सीट पर नामांकन अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा, एवं पोलिटेकनिक संस्थान मे 20% सीट पर नामांकन झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता पर्षद या सरकार द्वारा अगर कोई नई प्रक्रिया निर्धारित की जाती हैं के मेधा–सूची के आधार पर होगा, जिसमें पूरे देश से छात्र/छात्रा भाग ले सकेंगे ।

संस्थान द्वारा छात्र/छात्राओ से लिया जानेवाला शिक्षण एवं अन्य शुल्क RFP के कंडिका 1.1.15.1, 1.1.15.2 के अनुसार होगा। वर्त्तमान में निजी क्षेत्र में स्थापित तकनीकी शिक्षण संस्थानों का शुल्क निर्धारण सरकार द्वारा गठित शिक्षण शुल्क समिति द्वारा किया जा रहा है । इसी प्रकार इन संस्थानो का शिक्षण एव अन्य शुल्क शि.ण शुल्क समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जब तक सरकार कोई अन्य प्रक्रिया निर्धारित नहीं करती है।

4. The Jharkhand Infrastructure Development Corporation Limited (JINFRA) द्वारा Request For Proposal एवं Concession Agreement विभाग के समन्वय एवं ज्ञापांक वि0प्रा0/नि0स0 25–31/10–67/स0 को0 दिनांक 08.07.2011 द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति के मार्गदर्शन मे किया गया हैं। JINFRA द्वारा Bid Processing एवं Private Partner के चयन का कार्य विभाग के अधिनस्थ पूर. करेगा। सफल Bidder द्वारा JINFRA को रू. 20.00 लाख एवं लागू सेवा शुल्क देय होगा एवं इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नही होगी।

5. Technical Bid के आधार पर प्रारम्भिक सफल Bidder का चयन Request For Proposal (RFP) के कंडिका 2.11 के आधार पर किया जायेगा। इसके उपरान्त संस्थान के संचालन हेतु Private Partner का चयन RFP के कंडिका 2.12 के अनुसार Financial Bid के आधार पर किया जायेगा। संस्थान का संचालन उसी Private Partner को दिया जायेगा जो Financial Bid में अधिकतम Free Seats (न्युनतम % seats) देगा। Free Seats के लिए शुल्क, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/राजकीय पोलिटेकनिक संस्थान मे लिया जाने वाला शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क (छात्रावास शुल्क को छोड़कर) के अनुसार होगा। इसे RFP में उच्च स्तरीय समिति के दिनांक 07.01.2012 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार रखा गया हैं।

6. अभियंत्रण महाविद्यालय के संचालन की शर्तें

क. राज्य के अग्रणी उद्योग :

राज्य के अग्रणी उद्योग द्वारा झारखंड राज्य में एक प्रोजेक्ट स्थापित किया हैं जिसकी लागत कम से कम रू. 1000 करोड़ (एक हजार करोड) रूपये एवं, अगर दो प्रोजेक्ट लगाये हो तो प्रत्येक प्रोजेक्ट में कम से कम रू. 600 करोड़ (छ. सौ करोड) रूपये का निवेश किया होना चाहिए।

ख. उच्च कोटि के शिक्षण जगत के प्रबंधन ट्रस्ट अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956)

ट्रस्ट अथवा सोसाईटी अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956) या तकनीकी शिक्षण संस्थान संचालन समूह जो कम से कम 5 संस्थान (डिप्लोमा एवं डिग्री) का संचालन कर रहा हो एवं संस्थान की मान्यता All India Council for Technical Education (AICTE) / University Grant Commission (UGC)/ Medical council of India (MCI)/ Dental Council of India (DCI) से प्राप्त हो जिसमे कम से कम दो अभियंत्रण महाविद्यालय (अभियंत्रण महाविद्यालय के संचालन के लिए) National Board of Accreditation (NBA) / National Assessment and Accreditation Council (NAAC) द्वारा प्रमाणित हो एवं सभी संकाय मे नामांकन पिछले छः वर्ष का प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के छात्रों / छात्राओ की संख्या 5000 हो। साथ ही पिछले तीन वित्तीय वर्षो मे कम से कम रू. 40 करोड़ (चालीस करोड रूपये) का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Turnover रहा हो।

7 पोलिटेकनिक संस्थान के संचालन की शर्तें :

क. राज्य के अग्रणी उद्योग :-

राज्य के अग्रणी उद्योग द्वारा झारखंड राज्य मे एक प्रोजेक्ट लगाये हो, की लागत कम से कम रू. 750 (सात सौ पचास करोड) एवं अगर दो प्रोजेक्ट लगाये हो की प्रत्येक की लागत रू. 450 करोड (चार सौ पचास करोड) कम से कम होनी चाहिए।

ख. उच्च कोटि के शिक्षण जगत के प्रबंधन ट्रस्ट अथवा सोसाईटी अथवा Compan incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956) :-

ट्रस्ट अथवा सोसायटी अथवा Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956) या तकनीकी शिक्षण संस्थान संचालन समूह जो कम से कम 3 संस्थान (डिप्लोमा एवं डिग्री) का संचालन कर रहा हो एवं संस्थान की मान्यता AICTE / UGC / MCI / DCI से प्राप्त हो जिसमे कम से कम एक अभियंत्रण महाविद्यालय NBA / NACC द्वारा प्रमाणित हो एवं सभी संकाय में नामांकन पिछले छः वर्ष का प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के छात्रों / छात्राओं की संख्या 3000 हो। साथ ही पिछले वित्तीय वर्ष मे कम से कम रू. 20 करोड का प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे Turnover रहा हो।

8 विभाग द्वारा निर्मित सभी भवनों एवं भूमि पर सरकार का स्वामित्व होगा एवं सभी भवनों का संरक्षण Private Partner की जिम्मेवारी होगी। Concession period के समाप्ति तक सभी भवनो को उसी स्थिति मे वापस करनी होगी जिस स्थिति मे Private Partner को भवन दिया जायेगा। निजी भागीदार द्वारा विकसित सभी प्रकार के चल / अचल सम्पत्ती व सुविधाऐं Conession Agreement के अवधि समाप्त होने पर सरकार का स्वामित्व स्वतः हो जाएगा एवं सरकार द्वारा इसके लिए कोई अतिरिक्त राशि निजी भागीदार को देय नहीं होगा।

9 उपरोक्त के आलोक में राज्य के अग्रणी उद्योग / उच्च कोटी के शिक्षण जगत मे कार्यरत (सोसाईटी) अथवा ट्रस्ट Company incorporated under Section 25 of Companies Act, 1956 के साथ सरकार द्वारा 30 वर्षो के लिए अनुबंध किया जायेगा। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखंड रांची द्वारा निर्मित अभियंत्रण महाविद्यालय रामगढ़, चाईबासा एवं दुमका तथा राजकीय पोलिटेकनिक सिल्ली का सार्वजनिक निजी सहयोग [Public Private Partnership Mode] द्वारा संचालन Concession Agreement के अनुसार होगा। संस्थान के संचालन हेतु सहभागी का चयन RFP के आधार पर होगा। RFP एवं Concession Agreement को उच्च स्तरीय समिति के दिनांक 07.01.2012 को आयोजित बैठक मे दिए गए परामर्श के अनुसार JINFRA द्वारा तैयार किया गया है। Private Partner द्वारा संस्थान के संचालन का प्रबंधन किया जायेगा एवं सभी क्रिया कलापों का अनुश्रवण विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, झारखण्ड द्वारा किया जायेगा।

10. उपर्युक्त पर दिनांक 26.06.2012 की मंत्रिपरिषद् के मद संख्या 17 में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (लेखा एवं हक) झारखण्ड, राँची को प्रेषित की जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(डा0 विनोद अग्रवाल)
अपर मुख्य सचिव